File No. TP1-POLR/MOTR/8/2022-IX-1-Transport Department (Computer No. 37135)
I/60233/2022
I/60233/2022

संख्याः /ix-1/2022-32(2)/ix-1/2022

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉंकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
परिवहन विभाग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 02 सितम्बर, 2022**

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के पंजीयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–289 / प्राविधिक / दो–81 / 2022 दिनांक 31 अगस्त, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सा.क.नि. 653(अ) दिनांक 23–09–2021 के अन्तर्गत राज्य में रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा (RVSF) के पंजीयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के स्वामी या प्रचालक द्वारा पंजीयन हेतु पात्रता, पंजीयन प्रक्रिया, विधिमान्यता, नवीनीकरण, पंजीकृत प्रचालक की शक्तियाँ तथा कर्तव्य, स्क्रैपिंग के मानदण्ड, स्क्रैपिंग प्रक्रिया, निरीक्षण लेखापरीक्षा आदि के सम्बन्ध में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के पंजीयन हेतु निम्न दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगाः–

(1) पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) हेतु स्थानः

(क) 'एल' श्रेणी के वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम 01 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम 0.5 एकड भूमि।

(ख) 'एम', 'एन' व अन्य श्रेणी के वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु मैदानी क्षेत्र हेतु 03 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र 1.5 एकड़ भूमि।

(ग) भूमि और वाहनों के मुख्य मार्ग से स्क्रैपिंग यार्ड में प्रवेश व परिसर में निर्बाध संचरण हेतु मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मैदानी क्षेत्र हेतु 7 मीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु 5 मीटर।

(2) स्क्रैपिंग यार्ड हेतु निम्नवत् उपस्कर आवश्यक होंगेः

- Shredder/Bailing Press for compacting/any suitable device.
- AC gas Recovery unit.
- Vehicle Lift.
- Auto Shear machine for cutting catalytic converter.
- Air Bag Deployment unit.
- Filter wrence/oil Filter Removal Tool.
- Wheel Popper.
- Piercing equipment for damper oil.
- Suction equipment for fluid.

Generated from eOffice by ADARSH KUMAR, RO-AK, RO-TRANSPORT, Transport Department on 02/09/2022 11:25 AM

Scanned by CamScanner

1/60233/2022

- Bleeding system for brake fluid.
- Dedicated fluid collection container.
- Hydraulic tube cutter.
- Pneumatic saw.
- Portable power tool.
- Draining Tray.
- Pry bar/Spanner/Ratchet/ Mallet.
- Screw driver/Slot screwdriver/Impact Screwdriver.
- Cutter/cutting pliers/Special Pliers.
- Center Punch & bag (for glass breakage & collection).
- Windshield removal tool.
- Pneumatic air gun.
- Water supply.

(3) स्क्रैपिंग यार्ड हेतु निम्नवत् जनशक्ति आवश्यक होगी:

क्र.सं.	कर्मचारी	न्यूनतम संख्या	शैक्षिक योग्यता
1	केन्द्र प्रभारी/ प्रबन्धक	01	बी0टेक0 (आटोमोबाइल अथवा मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रानिक्स अथवा केमिकल इंजीनियरिंग)
2	डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (डी0बी0ए0)	01	पी0जी0डी0सी0ए0 अथवा बी0सी0ए0 अथवा ए लेवल की योग्यता के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव।
3	चालक	02 (एक हल्के मोटरयान हेतु तथा एक व्यवसायिक यान हेतु)	प्रत्येक श्रेणी हेतु कम से कम 03 वर्ष पुरानी चालन अनुज्ञप्ति
4	लेन प्रभारी/ पर्यवेक्षक	01 (प्रति लेन)	आईटीआई/डिप्लोमा (मैकेनिकल अथवा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग)
5	अनुरक्षण मिस्त्री	01	आईटीआई/डिप्लोमा (मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीयरिंग)
6	श्रमिक	कार्य की आवश्यकतानुसार	–

(4) आवेदक द्वारा नियत प्रारुप–1 में आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र अथवा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किये जाएंगे:

- पहचान पत्र (आवेदक के व्यक्ति होने की दशा में)।
- स्वामित्व प्रमाण पत्र।
- जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र।
- सीआईएन।
- पैन कार्ड।
- जीएसटी प्रमाण पत्र।
- कम्पनी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- स्थान/सुविधा का मानचित्र (ब्लू प्रिंट)।
- रु0 100.00 (रुपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर में इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित व्यक्ति/कम्पनी/फर्म संस्था/ट्रस्ट को किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी प्रकरण में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।
- कंपनी के विद्यमान क्रियाकलाप (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड) का प्रमाण।
- अधिकृत क्षेत्र का विवरण (स्वामित्व/पट्टा जो 10 वर्ष की अवधि के लिये वैध हो)।

Generated from eOffice by ADARSH KUMAR, RO-AK, RO-TRANSPORT, Transport Department on 02/09/2022 11:25 AM

Scanned by CamScanner

- औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी (प्रमाण पत्र)।
- तुलन पत्र (Balance Sheet)/करदानक्षमता (Solvency) का प्रमाण पत्र।
- उपकरणों की सूची।
- जनशक्ति की सूची।
- प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र।
- अग्निशमन संयंत्रों की सूची।
- कचरा वाहन के सुरक्षित निपटान के लिए सीपीसीबी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने सम्बन्धी वचनबद्धता (Undertaking)।
- रजिस्ट्रीकरण जारी होने के 12 माह के भीतर आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा आईएसओ 45001 गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी वचनबद्धता (Undertaking)।
- खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (2016) का पालन करने सम्बन्धी वचनबद्धता (Undertaking)।

(5) राज्य में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु फर्म को अधिकृत किये जाने से पूर्व सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्बन्धित कार्यालय के सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से संस्थान का स्थल निरीक्षण कर, 15 दिन के भीतर निरीक्षण आख्या परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(6) निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के पश्चात पंजीयन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना में दिए गए प्राविधानों के आलोक में आवेदन पर विचार तथा उसका निस्तारण किया जाएगा।

3. कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by Arvind Singh Hyanki
Date: 02-09-2022 10:22:32
(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
सचिव।

__संख्याः__ __(1)/ix-1/2022-32(2)/ix-1/2022,तद्दिनांक।__

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
सचिव।

Generated from eOffice by ADARSH KUMAR, RO-AK, RO-TRANSPORT, Transport Department on 02/09/2022 11:25 AM

Scanned by CamScanner